

प्रकाश

ओंकार नाथ आर्य  
उप सचिव,  
सौया में,

अध्यक्ष,  
फेन्ड्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक.....

विषय : एम० ढी० कार्मेल स्कूल, दुलौर, (बरदपरवा), जगदीशपुर, भोजपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

नहाशाय,


“ उपरोक्त विषय के संबंध में निवेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा एम० ढी० कार्मेल स्कूल, दुलौर, (बरदपरवा), जगदीशपुर, भोजपुर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय देवमाता एजुकेशनल एवं मेडिकल ट्रस्ट के अधीन रांचालित है। इस ट्रस्ट में विश्री एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चार्ड्जी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी० बी० एस० ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रथल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के रूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 18 (अठारह) शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना रांच्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

अपेक्षित शर्तें के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों या निः शुल्क किया जायेगा तथा उनसे दृश्यान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग,

 Manager  
M.D. CARMEL SCHOOL  
Dulour (Baradiparawa)

  
PRINCIPAL  
M.D. Carmel School  
Dulour, Jagdishpur  
Bhojpur, Bihar.

अत्यरिक्त, विकलांग चालिकाएं तथा रामान्न शेठी के परिवार जिनकी आय 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होगे, को रखा गया है।

- (ii) जिसामल में नर्सरी/कोठ जीव अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/राष्ट्रात्मक (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित कामता रो अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का घयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कोठी 10 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी रु10 बी0 एस0 ई0, नई, दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. राथ ही दोर्द का यह सुनिश्चित करना होगा कि संवंधित विद्यालय के हारा अपनी राहमति के अनुसार अनियार्थ एवं अपेक्षित भार्ती का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख का प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्रि प्रभाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा सम्बद्ध रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के हारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर एम0 डी0 कारमेल स्कूल, दुलौर, (बरदपरवा), जगदीशपुर, भोजपुर को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु अनापत्रि प्रभाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(ओंकार नाथ आर्य)  
उप सचिव

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को उनके पत्रांक 377 दिनांक 29.05.2010 के प्रसांग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
उप सचिव

ज्ञापांक 566 दिनांक 29.06.10

प्रतिलिपि : प्राचार्य, एम0 डी0 कारमेल स्कूल, दुलौर, (बरदपरवा) जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.6.10

उप सचिव